हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359400*

क्र. 2385/अका./का.प./2020 दुर्ग, दिनांक : 27/2/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक बुधवार, दिनांक 26.02.2020 समय दोपहर 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

डॉ अरूणा पल्टा, कुलपति – अध्यक्ष

1. श्रीमती ममता चंद्राकर – सदस्य
2. डॉ. एम. ए. सिद्धिकी – सदस्य
3. डॉ. डी.सी. अग्रवाल – सदस्य
4. डॉ. देबाशीष डे – सदस्य
5. डॉ. मीता चक्रवर्ती – सदस्य
6. श्री अशोक लोहिया – सदस्य
7. डॉ. हंसा शुक्ला – सदस्य
8. डॉ. रक्षा सिंह – सदस्य
9. डॉ. आर. एन. सिंह – सदस्य
10. डॉ. महेशचन्द्र शर्मा – सदस्य
11. श्री सुशील गजभिये – सदस्य

डॉ. सी. एल. देवांगन, कुलसचिव – सचिव

कार्यपरिषद की दिनांक 26.02.2020 की बैठक का कार्यवृत्त :–

कार्यपरिषद बैठक की कार्यवाही छत्तीसगढ़ी राज्य गीत से प्रारंभ की गई।

विषय क्रमांक 01.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 16/10/2019 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि करना।

निर्णय

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 16/10/2019 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 02.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 16/10/2019 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 16/10/2019 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

विषय क्रमांक 03.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12/12/2019 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन करना।

निर्णय

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12/12/2019 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

विषय क्रमांक 04.

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संचालित विभिन्न विषयों के प्रावीण्य सूची में पात्र विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु इच्छुक दानदाताओं से फॉर्म में विवरण एवं राशि प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा तत्संबंधी विनियम तैयार किया गया है जिसके अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु विनियमों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 05.

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 507/अका./गोल्ड मेडल/2018; दुर्ग दिनांक 05.09.2019 के विनियम क्रमांक 02 जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त कक्षाओं (डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया था, जिसमें संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विनियम क्रमांक 02 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 06.

देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एंड टेक्नोलॉजी, खपरी, धमधा रोड, जिला – दुर्ग के लिए परिनियम – 28 के अंतर्गत प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य पद हेतु डॉ. कुबेर सिंह गुरूपंच के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 07.

अथर्व महाविद्यालय, धनोरा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) में शासी निकाय के अंतर्गत दो सदस्यों के नामांकन पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा महाविद्यालय में शासी निकाय हेतु दो सदस्य **डॉ. जी. एस. बग्गा** (सहा. प्राध्यापक – वाणिज्य), चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, धमधा, जिला – दुर्ग एवं **डॉ. आरती दीवान** (सहा. प्राध्यापक – होमसाईंस), इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला – दुर्ग के नाम नामांकित किये गये।

विषय क्रमांक 08.

विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों की स्वशासी निरंतरता जारी रखने पर विचार करना :—

1. शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला—दुर्ग
2. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला—राजनांदगांव

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उक्त शासकीय महाविद्यालयों की स्वशासी निरंतरता जारी रखने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 09.

विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का नाम ''महात्मा गांधी ग्रंथालय'' (Mahatma Gandhi Library) रखे जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का नाम **''महात्मा गांधी ग्रंथालय''** (Mahatma Gandhi Library) रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

स्थापना विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

विषय क्रमांक 10.

छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, जिला—रायपुर के आदेश क्र. 788/F—01002199/L-11—2/ब—4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05/09/2018 को अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों की भांति अंगीकृत कर लागू करते हुए विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (सातवां वेतनमान) के प्रावधानानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (सातवां वेतनमान) के प्रावधानानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 11.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों श्री गोंविद लाल नामदेव एवं श्री एच.एस.बघेल की प्रतिमाह रू. 12,500 के निश्चित मानदेय पर तीन माह हेतु नियुक्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 12.

समयमान वेतनमान स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 13.

श्री अंताराम चौरे, सहायक कुलसचिव के पदभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 14.

श्री सौरभ शर्मा, सहायक कुलसचिव के स्थानांतरण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 15.

इस विश्वविद्यालय में कार्यरत राज्य शासन द्वारा नियुक्त उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के सातवां वेतनमान (वेतनवृद्धि) भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

विषय क्रमांक 16.

विश्वविद्यालय की सत्र 2019—20 की परीक्षा हेतु 24 पेज की मुख्य एवं 08 पेज की पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

मूल्यांकन विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

विषय क्रमांक 17.

स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु स्वर्ण पदक के मापदण्ड निर्धारण पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा स्वर्ण पदक के प्रस्वावित मापदंड का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 18.

एक ही सत्र में दो उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने विषयक।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 11.02.2020 में लिये गये निर्णय **एक साथ दो डिग्री की कक्षाओं में प्रवेश लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रकरण पर अध्यादेश 6 के भाग — 5 के प्रावधानों के अनुसार दो उपाधि एक साथ नहीं करने संबंधी नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय में एक साथ एक से अधिक उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्र के सहमति के आधार पर एक पाठ्यक्रम छोड़ने पर दूसरे कक्षा का अघोषित परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति की गई** को मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 19.

मूल्यांकन केन्द्रों को प्रदाय किए जाने वाले केन्द्र पारिश्रमिक विषयक।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा वार्षिक परीक्षा 2020 के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन दर में प्रति उत्तरपुस्तिका 00.50 पैसे को प्रतिशत दर पर निम्नानुसार निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया:–

	पारिश्रमिक का विवरण
केन्द्र समन्वयक	25%
सहायक समन्वयक	25%
तृतीय श्रेणी लिपिक	20%
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20%
परिवहन चाय/पानी	10%

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:–

विषय क्रमांक 20.

वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2019–20 के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा केन्द्र निर्धारण शुल्क लिए जाने प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने का निर्देश दिया गया।

विषय क्रमांक 21.

वार्षिक परीक्षा 2020 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 22.

वार्षिक परीक्षा 2020 हेतु समय–सारिणी जारी करने एवं परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 23.

आगामी वार्षिक परीक्षा 2020 हेतु तैयार कराये जाने वाले स्नातक कक्षाओं के चिन्हित प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रमों में समानता के कारण इनके लिए एक ही प्रश्नपत्र निर्माण कराया गया है तथा इनकी परीक्षाएं एक साथ लिए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई तथा एस.एम.एस व प्रवेशपत्र के माध्यम से सूचना प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

विषय क्रमांक 24.

विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक बजट वित्त समिति के अनुमोदन पश्चात कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 25.

विश्वविद्यालय के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिला–कलेक्टर, दुर्ग द्वारा संशोधित मासिक / दैनिक मजदूरी दर का अनुमोदन।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 26.

परीक्षा मद से स्थापना मद में राशि रू. 100.00 लाख स्थानांतरण करने पश्चात कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 27.

विश्वविद्यालय की वार्षिक / प्रायोगिक परीक्षा 2020 संचालन हेतु 63 महाविद्यालय / परीक्षा केंद्रों को प्रदत्त परीक्षा अग्रिम राशि के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 28.

पी.एच.डी. सेल हेतु पृथक बचत खाता खोलने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 29.

विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों से प्राप्त राशि का एक वर्ष अवधि के लिए नवीन सावधि जमा संबंधी सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 30.

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

बैठक के अंत में कुलसचिव ने अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलपति
(अध्यक्ष)

कुलसचिव
(सचिव)

पृ.क्र. 2386 /अका./का.प./2020

दुर्ग, दिनांक : 27/2/2020

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बैठक में लिए गये उनके विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन तत्काल अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित कर 10 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन से अवगत कराएं एवं प्रतिलिपि अकादमिक शाखा में उपलब्ध करायें।
4. कुलपति के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कुलसचिव